(28)

आदेश फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम 129)

समाहरणालय, सहरसा

(जिला विधि शाखा)

अधिहरण (उत्पाद) वाद सं0......49....... / 17–18

राज्य बनाम मोटर साईकिल होण्डा ड्रीम रजिस्ट्रेशन नं0– BR-19G-1306

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद के टिप्पणी, तारीख–सहित। 3
2.2.18	पुलिस अधीक्षक, सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन एवं प्रस्ताव के आलोक में बनगॉव थाना कांड संख्या–98 / 17 दिनांक–08.09.17 में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 30 (a) के तहत जब्त वाहन मोटर साईकिल होण्डा ड्रीम रजिस्ट्रेशन नं0–BR-19G-1306 को मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58 के तहत अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए विपक्षी को अपना पक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्ताव करने हेतु नोटिश किया गया। तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। पुलिस अधीक्षक, सहरसा के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि बनगॉव थाना कांड संख्या–98 / 17 दिनांक–08.09.17 में संध्या गश्ती के क्रम में स0अ0नि0 नंद कुमार सिंह बनगॉव थाना द्वारा बरियाही बाजार, सफाबाद स्थित हरिजन प्राथमिक विद्यालय के पास पक्की रोड पर संध्या गश्ती करने जा रहे थे कि एक आदमी पुलिस की गाड़ी देखते ही अपना मोटर साईकिल लेकर तेजी से उत्तर तरफ भागने लगा। पुलिस के तत्परता से भागने वाला व्यक्ति को मोटर साईकिल के साथ पकड़ा गया एवं मोटर साईकिल के दाहिने तरफ लगे गार्ड से लगा हुआ एक मटमैला रंग का प्लास्टिक के झौला में रॉयल स्टैग कम्पनी का 06 बोतल 375 ML एवं 08 बोतल 180 ML विदेशी शराब बरामद किया गया। जिसे विधिवत दो साक्षी के समक्ष विधिवत जब्त कर जप्ती सूची बनाया गया एवं वादी स0अ0नि0 नंद कुमार सिंह बनगॉव थाना के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर बनगॉव थाना काण्ड संख्या 98 / 17 दिनांक–08.09.17 धारा 30 (a) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 दर्ज किया गया एवं अनुसंधान के क्रम में काण्ड के प्राथमिक नामजद अभियुक्त (1) मंटू तांती पे0 स्व0 दामोदर तांती सा0 सफावाद बरियाही बाजार थाना बनगॉव जिला सहरसा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। काण्ड में जब्त विदेशी शराब का नमूना के तौर पर न्यायिक आदेश के	

2.2.18

पश्चात विधि विज्ञान प्रयोगशाला बिहार पटना भेजा गया है। उक्त विदेशी शराब और जब्त वाहन को जप्त कर अभियोग दर्ज किया गया।

राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद को सुना। उनके द्वारा बताया गया कि जब्त वाहन से अवैध विदेशी शराब बरामद की गई है, जिससे स्पष्ट होता है कि जब्त वाहन से शराब का परिवहन किया गया है। वाहन का अवैध शराब के कारोबार में लिप्त होने की मंशा स्पष्ट होती है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 में प्रदत्त शक्तियों के आलोक में जब्त वाहन का अधिग्रहण किया जाना आवश्यक है।

अभियुक्त मंटू तांती को अधिहरण वाद के नोटिश को तामिला बनगांव थाना के चौकीदार 1/1 भैरव कुमार के द्वारा करवाया गया जिसे थानाध्यक्ष बनगांव द्वारा अग्रसारित कर इस न्यायालय को भेजा गया। तामिला संतोषप्रद है। लेकिन कई तिथियों के बीत जाने के बाबजूद विपक्षीगण वाहन मालिक की ओर से न तो कारणपृच्छा दाखिल किया गया है और न ही कोई उपस्थित हुआ है। ऐसी स्थिति में एक पक्षीय सुनवाई की गई। उक्त वाहन से विदेशी शराब बरामद हुआ जिससे यह प्रतीत होता है कि जब्त वाहन अवैध कारोबार में संलिप्त है तथा विपक्षी को इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है।

विशेष लोक अभियोजक उत्पाद के अभिकथन तथा पुलिस अधीक्षक, सहरसा से प्राप्त प्रस्ताव अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वाहन से अवैध शराब बरामद हुआ है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बाबजूद जब्त वाहन से शराब पाया जाना दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की तहत उक्त वाहन का अधिग्रहण किया जाना विधिसम्मत् प्रतीत होता है।

अतः जब्त वाहन मोटर साईकिल होण्डा ड्रीम रजिस्ट्रेशन नं0–BR-19G-1306 को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58 (2) में प्रदत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिग्रहण करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, सहरसा एवं प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा को आदेश दिया जाता है कि जब्त वाहन का मोटरयान निरीक्षक, सहरसा से मूल्यांकन कराकर विधिवत नीलामी कर विक्री राशि सरकारी कोष में जमा कर दें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा एवं अधीक्षक उत्पाद, सहरसा को देगें।

इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की गयी है।

2.2.18 | 2.2.18
समाहर्त्ता, | समाहर्त्ता,
सहरसा। | सहरसा।

ज्ञापांक 22-2 / विधि, 12.02.2018 सहरसा, दिनांक 12.02.2018

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा, सहरसा/अधीक्षक उत्पाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।